

12/12/20 पत्रावली पेशी में ली गई 15/12/20

~~प्राचीं लुरेड डाय व अधिवक्ता~~  
~~प्राचीं डाय प्राथिना पत्र खारिज करके~~  
~~का निवेदन किया। प्राथिना पत्र विद्वा~~  
~~में खारिज कर पत्रावली कालिज~~  
~~कफ्लर की जाती व आदेश सुनाया~~  
~~गया।~~

संक्षेपक कलक्टर  
एव उपखण्डाधिकारी  
मुमानगढ

कर

श्रीमा

ने

उव

क

5